# न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 103/20 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2020/000103)

हुकमसिंह पुत्र रामजीत जाति जाट निवासी ग्राम विराबई तहसील व जिला भरतपुर। (मृतक)

1/1 इन्द्रपाल
1/2 मानसिंह
1/3 अजीत
1/4 विजयपाल
1/5 वीरेन्द्र
1/6 सतीश

पुत्रगण हुकमसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बिरावई तह0 भरतपुर।

.....अपीलान्टस

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर मु0नं0 17/2010 हुकमसिह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 12.04.2012 (75 एल आर एक्ट) व तहसीलदार भरतपुर निर्णय दिनांक 13.04.2010 प्रकरण संख्या 12/10 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलान्ट।

## निर्णय

दिनांकः– 27.08.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 13.04.2010 व जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 12.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार भरतपुर ने आदेश दिनांक 13.04.2010 से अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 134/0.07 में से 0.01 गै0मु0 कीडा स्थल ग्राम बिरावई तहसील भरतपुर पर रास्ता कायम किये जाने का अतिकमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया था। तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 13.04.2010 की अपील जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में की गई। जिसमें जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2012 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित निर्णय को यथावत रखा गया। जिला

27-8-2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 12.04.2012 के विरूद्ध अदालत हाजा में द्वितीय अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं लिहाजा वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार भरतपुर व जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.04.2010 व 12.04.2012 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। तहसीलदार भरतपुर की ओर से आराजी खसरा नम्बर 134/0.07 में से 0.01 गैर मुमकिन कीडा स्थल वाकै ग्राम विराबई तहसील व जिला भरतपुर में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर विवादित भूमि से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है। जबकि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई कब्जा या अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार भरतपुर के द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 13.04.2010 के विरूद्ध जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.04.2012 अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने का आदेश दिया है, जो कि मौके व रिकार्ड के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत द्वारा विवादित भूमि के संबंध में मौका कमिश्नर रिपोर्ट भी मंगवाई गई थी। मौका कमिश्नर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि कीडा स्थल पर कोई अतिक्रमण नहीं है और न ही किसी तरह का कोई पक्का निर्माण ही दिखाया गया था, जबकि तहसीलदार की ओर से अपीलान्ट के विरूद्ध कीडास्थल पर अतिक्रमण किये जाने के आधार पर कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय में मौका कमिश्नर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में उल्लेख करते हुये कि मौका कमिश्नर ने कीडा स्थल होना स्वीकार किया है। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है, जो कि गलत है, क्योंकि मौका कमिश्नर की ओर से अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया था कि अपीलान्ट द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है और न ही अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट का मकान बना हुआ है। इसमें आम रास्ता 10–11 फीट आगे है। जिस पर आने जाने हेतु कोई रास्ता अपीलान्ट के पास नहीं है। अपीलान्ट केवल उक्त रास्ते से आते जाते हैं, इसके बाबजूद अदालत मातहत ने विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण माना है, जो कि मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के विपरित है। जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2012 की नकल हेतु अपीलान्ट की ओर से आवेदन तत्समय ही कर दिया गया था, परन्तु

27.8.2014

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उक्त निर्णय की नकल दिनांक 15.05.2012 को प्राप्त होते ही अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। फिर भी अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे तथा तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 13.04.2010 व जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 12.04.2012 को निरस्त करते हुये अपीलान्ट के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को ड्राप किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णयों संबंधी मूल पत्रांवली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में पटवारी हल्का की ओर से अपीलान्ट के विरूद्ध खसरा नंबर 134 रकबा 0.7 है0 किस्म गैर मुमकिन कीडा स्थल राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिरावई के 0.01 है0 भूमि पर रास्ता बनाकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार भरतपुर को की गई। जिस पर तहसीलदार भरतपुर द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना में अपीलान्ट अदालत मातहत में जरिये अभिभाषक उपस्थित हुये। दिनांक 13.04.2010 को विवादित भूमि का तहसीलदार द्वारा मौका देखा जाकर अपीलाधीन निर्णय इस आशय का पारित किया गया कि अपीलान्ट की ओर से प्राथमिक विद्यालय के कीडा स्थल पर रास्ता बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। इसलिये विवादित भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये बेदखल किये जाने के साथ–साथ लगान की 50 गुना शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया। तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित उपरोक्त निर्णय दिनांक 13.04.2010 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलान्ट के आवेदन पर दिनांक 03.06.2011 को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। जिसकी पालना में मौका कमिश्नर की ओर से दिनांक 23.06.2011 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से उक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.04.2012 को पारित किया है। जिसमें यह उल्लेख किया है कि विवादित आराजी स्कूल एवं कीडा स्थल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा मौके पर स्कूल व कीडा स्थल बना हुआ है। जिसको मौका कमिश्नर ने भी स्वीकार किया है। अपीलान्ट के इस कथन के बारे में कि उसने अतिक्रमण नहीं किया है तथा वह विवादित भूमि से आता जाता है, के संबंध में यह अभिमत किया है कि बच्चों के स्कूल या कीडास्थल को रास्ते के रूप में उपयोग/उपभोग करना नियम विरूद्ध है। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है। उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नहीं आती है, क्योंकि स्वयं अपीलान्ट ने भी यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि जो कि क्रीडा स्थल की भूमि है, को रास्ते के रूप में अपीलान्ट के द्वारा काम में लिया जा रहा है। इसलिये अपीलान्ट का यह कथन कि पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट की गई है, मानने योग्य नहीं है।

जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में दिया गया यह तर्क कि जिला कलक्टर न्यायालय की ओर से नियुक्त किये गये मौका कमिश्नर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलान्ट का विवादित भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण होना नहीं बताया गया तथा विवादित भूमि क्रीडा स्थल के रूप में काम आ रही है तो इस संबंध में जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय से प्राप्त हुई अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में मौका कमिश्नर की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.2011 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित खसरा नंबर 134 में स्थित क्रीडास्थल की भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। यद्यपि उक्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट में खसरा नंबर 134 के रकबे पर किसी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण नहीं होना बताया गया है, परन्तु अपीलान्ट के विरूद्ध जो कार्यवाही की गई है, वह कार्यवाही कच्चे या पक्के निर्माण किये जाने के आधार पर नहीं की जाकर विवादित खसरा नंबर 134 में स्थित क्रीडा स्थल की भूमि को रास्ते के रूप में काम में लिये जाने के आधार पर की गई है। जिसको स्वयं अपीलान्ट द्वारा भी स्वीकार किया गया है तथा मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इसलिये तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 13.04.2010 व जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.04.2012 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उपरोक्त दोनों निर्णयों में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आने के कारण हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 13.04.2010 व जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 12.04.2012 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर